

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/ 2191

दिनांक: 20.06.2025

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
बाड़मेर, डीग, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, करौली, नागौर,
सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रेषित करने हेतु।

महोदय,

आयोग द्वारा राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.01.2025 से 31.05.2025 तक के रिक्त पदों के लिए (जिन पदों का 05 वर्षीय कार्यकाल सितम्बर, 2025 एवं अक्टूबर, 2025 में सम्पूर्ण हो रहा है, को छोड़कर) अर्हता तिथि 01.01.2025 के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार की जानी है। निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु पदों का विवरण परिशिष्ट 'A' पर संलग्न है।

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

निर्वाचक नामावली का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2023 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2023 एवं चूरू जिले की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-21 (सरदारशहर) की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 13.01.2023 को किया गया है, के डेटाबेस को विभक्त कर प्रपत्र ए-1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियाँ निम्नानुसार रहेंगी:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार कर ई-सूची पर अपलोड एवं Process करने की अंतिम तिथि	25.06.2025 (बुधवार)
2.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	26.06.2025 (गुरुवार)
3.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	28.06.2025 (शनिवार)
4.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड/प्रोसेस करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हो तो)	01.07.2025 (मंगलवार)
5.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
6.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	

मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

- :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: -

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	02.07.2025 (बुधवार) को
2.	विशेष अभियान तिथि	05.07.2025 (शनिवार) को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.07.2025 (शुक्रवार)
4.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	22.07.2025 (मंगलवार) तक
5.	पूरक सूचियों की तैयारी	25.07.2025 (शुक्रवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	28.07.2025 (सोमवार) को

पूर्व में निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक 431 दिनांक 08.02.2023 से जारी किए गए थे। उक्त पत्र में अंकित दिशा-निर्देश निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने में भी यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

कृपया उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,



(नलिनी कठोटिया)

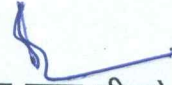
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 20.06.2025

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/ 2192-98
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबंधक (IT), मैसर्स REIL जयपुर।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. संस्थापन/स्टोर/लेखा शाखा राज्य निर्वाचन आयोग।
7. रक्षित पत्रावली।



(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर

पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक के रिक्त पदों का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	पंचायत समिति में			
			पंचायत समिति का नाम	प्रधान	उप-प्रधान/	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाड़मेर		गुडामालानी			14
			चौहटन			22
	योग	0		0	0	2
2.	डीग		पहाड़ी	प्रधान		
	योग	0		1	0	0
3.	चूरु		राजगढ़			15
	योग	0		0	0	1
4.	डूंगरपुर		सीमलवाड़ा			16
		9				
	योग	1		0	0	1
5.	जयपुर		जमवारामगढ़			27
	योग	0		0	0	1
6.	जैसलमेर		भणियाणा			11
	योग	0		0	0	1
7.	जालोर		चित्तलवाना			12
	योग	0		0	0	1
8.	जोधपुर		बावड़ी			20
	योग	0		0	0	1
9..	करौली		मासलपुर	प्रधान		2
			मण्डरायल			6
	योग	0		1	0	2
10.	नागौर	12				
	योग	1		0	0	0
11.	सीकर		फतेहपुर			6
	योग	0		0	0	1
12.	श्रीगंगानगर	22				
	योग	1		0	0	0
13	उदयपुर		खेरवाड़ा		उपप्रधान	12
			झाड़ोल			2
			सायरा			6
	योग	0		0	1	3
		जिला परिषद सदस्य-3		प्रधान-2	उपप्रधान- 1	पंचायत समिति सदस्य-14